




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 65]  
No. 65]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 4, 1999/माघ 15, 1920  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1999/MAGHA 15, 1920

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पथ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1999

का. आ. 77(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल 1957 की अधिसूचना संख्या एस आर ओ 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में—

(क) क्रम संख्या 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, सं. 7, सं. 9, [217.0 कि.मी. से 265.0 कि. मी. तक (नंदीगाम से विजयवाड़ा तक) को छोड़कर,] सं. 16, सं. 43 और सं. 63 का वह भाग जो आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार"

(ख) क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, सं. 19, सं. 23, सं. 28, सं. 31 और सं. 32 के वे भाग जो बिहार राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28क, सं. 30, सं. 33 और सं. 57	बिहार राज्य सरकार"

(ग) क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (561.0 कि.मी. से 585.0 कि. मी. तक, रा. रा.-4 के साथ संधिस्थल से मुम्बई तक को छोड़कर) सं. 6 [149.80 कि.मी. से 166.0 कि.मी. (अमरावती बाइपास) को छोड़कर] सं. 7, सं. 9, सं. 13, सं. 16, सं. 17 और सं. 69 के वह भाग जो महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ख और सं. 50	महाराष्ट्र राज्य सरकार"

"4क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, सं. 14, सं. 15 और सं. 59 के वे भाग जो गुजरात राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8क, सं. 8ख और सं. 8ग गुजरात राज्य सरकार"

(घ) क्रम संख्या 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि.मी. से 103.0 कि.मी. तक (चेन्नई से रानीपेट तक) को छोड़कर], सं. 7 [33.0 कि. मी. से 94.0 कि. मी. तक (होसूर से कृष्णगिरि तक) को छोड़कर] और सं. 45क, सं. 47 और सं. 49 के वे भाग जो तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7क, सं. 66, सं. 67 और सं. 68	तमिलनाडु राज्य सरकार"
(ङ) क्रम सं. 9 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि. मी. से 592.0 कि. मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा तक) को छोड़कर], सं. 4क, सं. 7 [0.0 कि. मी. से 33.0 कि. मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा तक) को छोड़कर], सं. 9, सं. 13, सं. 17 और सं. 63 के वे भाग जो कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48	कर्नाटक राज्य सरकार"
(च) क्रम सं. 10 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (233 कि. मी. से 418 कि. मी. तक, आंध्र प्रदेश/उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर तक को छोड़कर) (0.0 कि. मी. से 200.0 कि. मी. तक, भुवनेश्वर से बालासौर तक) सं. 6, सं. 23 और सं. 43 के वे भाग जो उड़ीसा राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क और सं. 42	उड़ीसा राज्य सरकार"
(छ) क्रम सं. 11, 11क, 11ख, और 11ग और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं. 1क, सं. 10, सं. 15, सं. 20, सं. 21 और सं. 22 के वे भाग जो पंजाब राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 64	पंजाब राज्य सरकार,
"11क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं. 10, सं. 22, और सं. 65 के वे भाग जो हरियाणा राज्य के भीतर स्थित हैं	हरियाणा राज्य सरकार,
"11ख	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1क, सं. 20, सं. 21, और सं. 22 के वे भाग जो हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार,
"11ग	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं. 10, और सं. 24 के वे भाग जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर स्थित हैं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार"
(ज) क्रम सं. 12 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, सं. 11, सं. 12, सं. 14, सं. 15 और सं. 65 के वे भाग जो राजस्थान राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क	राजस्थान राज्य सरकार"
(झ) क्रम सं. 13 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, सं. 7, सं. 11, सं. 19, और सं. 24 [27.62 कि.मी. से 59.0 कि.मी. तक (हापुड़ वाइपास सहित गाजियाबाद हापुड़ तक) को छोड़ कर] और 148.43 कि. मी. से 166.65 कि. मी. तक] (मुरादाबाद वाइपास को छोड़कर), सं. 25, सं. 26 और सं. 28 के वे भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29, सं. 56 और सं. 58	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"
(ट) क्रम सं. 14 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—		
1	2	3
"14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [0.0 कि.मी. से 136.0 कि.मी. तक (कलकत्ता से खड़गपुर तक) को छोड़कर], सं. 31, सं. 31क, सं. 31ग और सं. 32 के वे भाग जो पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34, सं. 35, सं. 41 और सं. 55	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार"

[फा. सं. आर डब्ल्यू./एन.एच.-37011/17/97-डी-1]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4-4-1997 की एस आर ओ सं. 1181 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 1-12-1998 की एस. ओ. सं. 1025 (ई) द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT****(Roads Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 1999

**S. O. 77 (E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport, No. S.R.O. 1181 dated the 4<sup>th</sup> April 1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

(a) for serial No. 1 and entries thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"1	So much of National Highways No. 4, No. 7, No. 9, [(excluding from 217.0 Km to 265.0 Km (Nandigama to Vijayawada)], No. 16, No. 43 and No. 63 as are situated within the state of Andhra Pradesh and National Highways No. 18	State Government of Andhra Pradesh";

(b) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3	So much of National Highways No 6, No. 19, No. 23, No. 28, No. 31 and No. 32 as are situated within the State of Bihar and National Highways No. 28A, No. 30, No. 33 and No. 57.	State Government of Bihar";

(c) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No.6 [(excluding from Km 149.80 to Km 166.0 (Amravati bypass)], No. 7, No. 9, No. 13, No. 16, No. 17 and No. 69 as are situated within the State of Maharashtra and National Highways No. 4B and No. 50	State Government of Maharashtra

1	2	3
"4A	So much of National Highways No. 6, No. 14, No. 15, and No. 59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A, No 8B and No. 8C.	State Government of Gujarat";

(d) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"8	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km 0.0 to Km 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No. 7 [excluding from 33.0 to Km 94.0 (Hosur to Krishnagiri)] and No. 45A, No. 47 and No. 49 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No. 66, No. 67 and No. 68	State Government of Tamil Nadu";

(e) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"9	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km 0.0 to Km 592.0 (from Bangalore to Karnataka/Maharashtra border)], No. 4A, No. 7 [excluding from Km 0.0 to Km 33.0 (from Bangalore to Karnataka/Tamil Nadu Border)], No. 9, No. 13, No. 17 and No. 63 as are situated within the State of Karnataka and National Highway No. 48	State Government of Karnataka";

(f) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"10	So much of National Highways No. 5 [(excluding from Km 233 to 418 from Andhra Pradesh/Orissa border to Bhubaneswar)] [(from Km 0.0 to Km 200.0 from Bhubaneswar to Balasore)], No. 6, No. 23 and No. 43 as are situated within the State of Orissa and National Highways No. 5A and No. 42	State Government of Orissa";

(g) for serial numbers 11, 11a, 11b and 11c and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
"11	So much of National Highways No. 1 No. 1A, No. 10, No. 15, No. 20, No. 21 and No. 22 as are situated within the State of Punjab and National Highway No. 64	State of Government of Punjab;
"11A	So much of National Highways No. 1, No. 10, No. 22 and No. 65 as are situated within the State of Haryana	State Government of Haryana;
"11B	So much of National Highways No. 1A, No. 20, No. 21 and No. 22 as are situated within the State of Himachal Pradesh	State Government of Himachal Pradesh;
"11C	So much of National Highways No. 1, No. 10 and No. 24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi";

(h) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"12	So much of National Highways No.3, No. 11, No. 12, No. 14, No. 15 and No. 65 as are situated within the State of Rajasthan and National Highway No. 11A	State Government of Rajasthan";

(i) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13	So much of National Highways No.3, No.7, No. 11, No. 19 and No.24 [excluding from Km 27.62 to 59.0 (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and excluding from Km 148.43 to Km 166.65 (Moradabad bypass)] No. 25, No. 26 and No.28 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No.29, No. 56 and No. 58	State Government of Uttar Pradesh"

(j) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"14	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km 0.0 to Km 136.0 (from Calcutta to Kharagpur)] No. 31, No. 31A, No. 31C and No. 32 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No.34, No. 35, No. 41 and No. 55	State Government of West Bengal"

[F. No. RW/NH-37011/17/97-D-I]

K. R. BHATI, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated 4.4.1997 and lastly amended by S.O. 1025(E) dated 1.12.1998

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1999

का. आ. 78 (अ).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संलग्न तालिका (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त तालिका कहा गया है) के कालम (1) में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त तालिका के कालम (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तदनुसूची खंड के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

## तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	भाग, कि. मी. में
1	2	3
5	तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से विजयवाड़ा	52.8 कि. मी. से 164.75 तक और 182.82 कि. मी. से 354.775 कि. मी. तक
5	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	0.0 कि. मी. से 3.4 कि. मी. तक और 75.0 कि. मी. से 395.87 कि. मी. तक
5	विशाखापत्तनम से उड़ीसा/आंध्र प्रदेश सीमा तक (आंध्र प्रदेश राज्य में)	0.0 कि. मी. से 233.0 कि. मी. तक
5	आंध्र प्रदेश/उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर	233.0 कि. मी. से 418.0 कि. मी. तक
5	भुवनेश्वर से बालासौर	0.0 कि. मी. से 27.8 कि. मी. तक और 61.0 कि. मी. से 200.0 कि. मी. तक
60	बालासौर से उड़ीसा/पश्चिमी बंगाल सीमा (उड़ीसा राज्य में)	0.0 कि. मी. से 57 कि. मी. तक
2	बिहार/पश्चिम बंगाल सीमा से रानीगंज	441.44 कि. मी. से 474.0 कि. मी. तक
2	पानागढ़ से कलकत्ता	516.0 कि. मी. से 670.0 कि. मी. तक
6	कलकत्ता से खड़गपुर	0.0 कि. मी. से 136 कि. मी. तक
60	खड़गपुर से उड़ीसा/पश्चिम बंगाल सीमा तक (पश्चिम बंगाल राज्य में)	लम्बाई 68 कि. मी.
2	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से बरवा अड़्डा (बिहार राज्य में)	46.0 कि. मी. से 398.75 कि. मी. तक
2	हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर	93.0 कि. मी. से 479 कि. मी. तक
2	कानपुर से वाराणसी	0.0 कि. मी. से 334 कि. मी. तक
2	वाराणसी से उत्तर प्रदेश/ बिहार सीमा तक	0.0 कि. मी. से 46.0 कि. मी. तक
24	गाजियाबाद से हापुड़ और हापुड़ वाइपास	27.60 कि. मी. से 59.0 कि. मी. तक
24	मुरादाबाद वाइपास	148.43 कि. मी. से 166.65 कि. मी. तक
27	इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा तक (उत्तर प्रदेश राज्य में)	0.0 कि. मी. से 45.62 कि. मी. तक

2	दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा तक (हरियाणा राज्य में)	18.80 कि. मी. से 93.0 कि. मी. तक
2	दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	0.0 कि. मी. से 18.80 कि. मी. तक
8	दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा तक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में)	0.0 कि. मी. से 11.00 कि. मी. तक
8	किशनगढ़ से अजमेर	366.20 कि. मी. से 396.0 कि. मी. तक
8	अजमेर से राजस्थान/ गुजरात सीमा तक (राजस्थान राज्य में)	0.0 कि. मी. से 388.0 कि. मी. तक
8	राजस्थान/गुजरात सीमा से अहमदाबाद	388.0 कि. मी. से 516.0 कि. मी. तक
8	अहमदाबाद से गुजरात/ महाराष्ट्र सीमा तक (गुजरात राज्य में)	0.0 कि. मी. से 381.6 कि. मी. तक
3	राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के जंक्शन से मुम्बई	561.0 कि. मी. 585.0 कि. मी. तक
4	पुणे से थाणे	0.0 कि. मी. से 143.0 कि. मी. तक
4	कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा से पुणे	592.0 कि. मी. से 834.0 कि. मी. तक
8	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा से मुम्बई (महाराष्ट्र राज्य में)	381.6 कि. मी. से 502.27 कि. मी. तक
4	बंगलौर से कर्नाटक/ महाराष्ट्र सीमा तक	0.0 कि. मी. से 592.0 कि. मी. तक
7	बंगलौर से कर्नाटक/ तमिलनाडु सीमा तक (कर्नाटक राज्य में)	0.0 कि. मी. से 8.0 कि. मी. तक
4	चेन्नई से रानीपेट	0.0 कि. मी. से 103.0 कि. मी. तक
5	चेन्नई से तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश सीमा तक	0.0 कि. मी. से 52.8 कि. मी. तक
45	चेन्नई से डिंडीगल	0.0 कि. मी. से 27.8 कि. मी. तक और 122.0 कि. मी. से 417 कि. मी. तक
46	कृष्णागिरी से रानीपेट (तमिलनाडु राज्य में)	0.0 कि. मी. से 115.0 कि. मी. तक

[ फाइल सं. आर. डब्ल्यू/एन एच-37011/17/97-डी-1 ]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1999

S.O. 78(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto (hereinafter referred to as the said Table) of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said table of the National Highway as described in column (1) of the said table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

<u>National Highway No.</u> <b>(1)</b>	<u>Section</u> <b>(2)</b>	<u>Stretch in kilometer</u> <b>(3)</b>
5	Tamil Nadu/Andhra Pradesh border to Vijayawada	From Km 52.8 to Km 164.75 and From Km 182.82 to 354.775
5	Vijayawada-Visakhapatnam	From Km 0.0 to Km 3.4 and From Km 75.0 to 395.87
5	Vishakhapatnam to Orissa/ Andhra Pradesh Border <b>(in the State of Andhra Pradesh)</b>	From Km 0.0 to Km 233.0
5	Andhra Pradesh/Orissa border to Bhubaneswar	From Km 233.0 to Km 418.0
5	Bhubaneswar to Balasore	From Km 0.0 to Km 27.8 and From Km 61.0 to 200.0
60	Balasore to Orissa/West Bengal border <b>(in the State of Orissa)</b>	From Km 0.0 to Km 57
2	Bihar/West Bengal border to Raniganj	From Km 441.44 to Km 474.0
2	Panagarh to Calcutta	From Km 516.0 to 670.0
6	Calcutta to Kharagpur	From Km 0.0 to Km 136
60	Kharagpur to Orissa/West Bengal border <b>(In the State of West Bengal)</b>	68 Km length



<u>National Highway No.</u>	<u>Section</u>	<u>Stretch in kilometer</u>
2	Uttar Pradesh / Bihar border to Barwa Adda (in the State of Bihar)	From Km 46.0 to Km 398.75
2	Haryana/Uttar Pradesh border to Kanpur	From Km 93.0 to Km 479.0
2	Kanpur to Varanasi	From Km 0.0 to Km 334
2	Varanasi to Uttar Pradesh/ Bihar border	From Km 0.0 to Km 46.0
24	Ghaziabad to Hapur including Hapur bypass	From Km 27.60 to Km 59.0
24	Moradabad bypass	From Km 148.43 to Km 166.65
27	Allahabad to Uttar Pradesh/ Madhya Pradesh Border (in the State of Uttar Pradesh)	From Km 0.0 to Km 45.62
2	Delhi/Haryana border to Haryana/Uttar Pradesh border (in the State of Haryana)	From Km 18.80 to Km 93.0
2	Delhi to Delhi/Haryana Border	From Km 0.0 to Km 18.80
8	Delhi to Delhi/Haryana border (In the National Capital Territory of Delhi)	From Km 0.0 to Km 11.00
8	Kishangarh to Ajmer	From Km 366.20 to Km 396.0
8	Ajmer to Rajasthan/ Gujarat Border (In the State of Rajasthan)	From Km 0.0 to Km 388.0
8	Rajasthan/Gujarat Border to Ahmedabad	From Km 388.0 to Km 516.0
8	Ahmedabad to Gujarat/ Maharashtra border (in the State of Gujarat)	From Km 0.0 to Km 381.6
3	Junction with NH 4 to Mumbai	From Km 561.0 to 585.0
4	Pune to Thane	From Km 0.0 to 143.0
4	Karnataka/ Maharashtra border to Pune	From Km 592.0 to Km 834.0
8	Gujarat/Maharashtra border to Mumbai (in the State of Maharashtra)	From Km 381.6 to Km 502.27

<u>National Highway No.</u>	<u>Section</u>	<u>Stretch in kilometer</u>
4	Bangalore to Karnataka/ Maharashtra border	From Km 0.0 to Km 592.0
7	Bangalore to Karnataka/ Tamil Nadu border (In the State of Karnataka)	From Km 0.0 to Km 8.0
4	Chennai to Ranipet	From Km 0.0 to Km 103.0
5	Chennai to Tamil Nadu/Andhra Pradesh border	From Km 0.0 to Km 52.8
45	Chennai to Dindigul	From Km 0.0 to Km 27.8 and From Km 22.0 to Km 417.0
46	Krishnagiri to Ranipet (in the State of Tamil Nadu)	From Km 0.0 to Km 115.0

[File No. RW/NH-37011/17/97-D-I]

K. R. BHATI, Jt. Secy.